माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को दिये जाने वाले दण्ड के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

[1]डॉ. प्रभात शुक्ल
[2]अविनाश चन्द्र मिश्र
[1]एसो. प्रो., शिक्षक शिक्षा विभाग, एस. एस. कालेज, शाहजहाँपुर।
[2]शोध छात्र, मोनार्ड विश्वविद्यालय, हापुड।

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य 'माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को दिये जाने वाले दण्ड के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन' करना है। इसमें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की माध्यमिक विद्यालयों में दिए जाने वाले दण्ड के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में जनपद पीलीभीत के माध्यमिक विद्यालयों में से 25 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों का चयन कर उनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में से 10 प्रतिशत विद्यार्थियों के अभिभावकों का चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन में कुल 112 अभिभावकों को न्यादर्श हेतु चुना गया है। अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विभिन्न अभिभावकों में से माता, उच्चशिक्षित, नौकरी पेशा, एकल परिवार तथा शहरी अभिभावकों ने अन्य अभिभावकों की अपेक्षा विद्यालय में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले दण्ड के प्रति अधिक मात्रा में असहमति व्यक्त की।

शारीरिक दण्ड एक सुविचारित दण्ड है जो एक अपराध की सजा के रूप में अपराध करने वाले को अनुशासित करने या उसकी अस्वीकार्य प्रवृत्ति या व्यवहार को रोकने के लिये दिया जाता है। दण्ड शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से एक अपराधी को सजा दिये जाने के रूप में प्रयुक्त होता है, चाहें वह सजा न्यायिक हो, घरेलू या शैक्षिक समायोजन की। शारीरिक दण्ड को प्रमुख रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है– (अ) अभिभावकीय या घरेलू दण्ड (ब) विद्यालयों में दिये जाने वाला दण्ड (स) न्यायिक दण्ड।

दण्ड से तात्पर्य जानते हुए किसी को पीड़ा देने से है, और पीडा पीड़ित व्यक्ति को यह विचार रखते हुए दी जाती है, जिससे उसके भविष्य के व्यवहार पर प्रभाव पड़े। बालक जब कोई ऐसा कार्य करता है जो समाज के नियमों के प्रतिकूल है या उसके कार्य से समाज के अहित की सम्भावना है, तो उसके बदले में हम उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करते हैं। इस कार्यवाही को ही दण्ड कहा जाता है। प्राचीन काल से ही कठोर दण्ड की प्रथा थी। अतः लोगों का कहना था कि, ''डंडे को छोड दो तो बालक बिगड़ जायेगा।''

दण्ड को परिभाषित करते हुए थॉमसन ने लिखा है– ''दण्ड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को सम्बन्धित करके उसके दूर करने का प्रयास किया जाता है।''

अतः दण्ड का अर्थ बालक को ऐसी दुखदायी परिस्थिति में रखना जो उसे अच्छी न लगे और वह दुख का अनुभव करे। दण्ड का मनोवैज्ञानिक अर्थ है व्यक्ति को ऐसी दुखदायी परिस्थिति में रखना कि यह कोई कार्य या व्यवहार विशेष करना स्वाभाविक ढंग से छोड दे। दण्ड एक प्रकार का सामाजिक नियन्त्रण है। यह आवश्यक नहीं है कि जो दण्ड दिया जाये उसमें कष्ट या शारीरिक पीडा अवश्य हो।

बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17(1) में कहा गया है कि बच्चों को किसी भी तरह से शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा धारा 17(2) में कहा गया है कि धारा 17(1) के उल्लंघन करने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इस प्रावधान की जरुरत शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त एक ऐतिहासिक समस्या से निजात पाने का प्रयास है, भारतीय परम्परा में विद्यार्थी जीवन एक कठिन एवं श्रमसाध्य कार्य माना जाता था, पर इसमें धीरे–धीरे इसमें कुछ ऐसी खामियाँ भी आ गई, जो शिक्षा व्यवस्था में सबसे बुरी खामियों में से एक हैं– वह है छोटी–छोटी गलतियों पर भी शारीरिक एवं मानसिक दंड देना, बाद में इसे औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए लोकोक्तियां भी गढ ली गई, जिसमें एक सबसे ज्यादा मशहूर है– ''गुरुजी मारे धम–धम, विद्या आवे छम–छम' पर कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक दंड एक क्रूर सजा है, जिसके कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यह बीच में ही पढ़ाई छोड देने का सबसे बड़ा कारण है, इस समस्या से निजात पाने के लिए हाल ही में कुछ प्रावधान किए गए, पर उनमें से कोई भी प्रभावी नहीं हो पाया।

हाल में आए कुछ मामलों में बच्चों के हाथ टूट गए हैं, बच्चों की मौत हो गई है और कई बच्चों को लंबा इलाज कराना पड़ा है, भोपाल के एक स्कूल में छः वर्षीय अनमोल को उसकी शिक्षिका ने इतना मारा उसके हाथ की हड्डी खिसक गई और उसे ऑपरेशन की पीडा झेलनी पडी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अंग्रेजी का एक अक्षर गलत बताया था।

अतः दण्ड के विभिन्न लाभ हानि आदि को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की अभिवृत्ति इस संदर्भ में क्या है यही जानने का प्रयास प्रस्तुत अनुसंधान है।

सम्बन्धित साहित्य :

इस शोध से पूर्व कुछ शोधकर्ताओं ने इस विषय से सम्बन्धित चरों पर शोध सम्पादित किये हैं जिनमें–

पेन्ने, रोनाल्ड के0 (1967) ने बच्चों के दिशा निर्धारण एवं भेदबोधक अधिगम पर पुरस्कार एवं दण्ड द्वारा पडने वाले प्रभाव का अध्ययन किया।

मिश्रा (1989) ने आन्तरिक अभिप्रेरणा, बाह्य पुरस्कार और निष्पादन का अध्ययन किया।

बर्नेट, पॉल सी0 (2002) ने अध्यापक प्रशंसा और प्रतिपुष्टि तथा विद्यार्थी का कक्षा के वातावरण के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किया।

मेहता, सालियाल तथा अन्य (2006) ने विद्यार्थियों पर शारीरिक दण्ड का प्रभाव : एक शोध अध्ययन विषय पर अध्ययन किया।

हार्डिन, माइकल जी0 तथा अन्य (2006) ने संकोची एवं असंकोची वयस्कों में पुरस्कार एवं दण्ड के प्रति संवेदनशीलताः सामाजिक और अभिप्रेरणात्मक व्यवहार के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन किया।

कारनगे, निकोलस एल0 एवं एन्डरसन, क्रेग ए0 (2009) ने हिंसक वीडियो गेम्स में दिये जाने वाले पुरस्कार एवं दण्ड के आक्रामक प्रभाव, संज्ञान तथा व्यवहार पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन किया।

मिश्र अवधेश कुमार (2012) ने विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिलने वाले पुरस्कार एवं दण्ड के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन किया।

इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि किसी भी अनुसंधानकर्ता ने माध्यमिक विद्यालयों में दिये जाने वाले दण्ड के प्रति विद्यार्थियों के अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन नहीं किया है। प्रस्तुत अनुसंधान इसी दिशा में एक प्रयास है।

समस्या कथन :

''माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को दिये जाने वाले दण्ड के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन''

प्रमुख शब्दों का परिभाषीकरण :

1. **दण्ड :**

प्रस्तुत अनुसंधान में दण्ड से आशय विद्यालयों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की पीडा से है। यह शारीरिक अथवा मानसिक किसी भी प्रकार की हो सकती है।

2. **अभिभावक :**

प्रस्तुत अध्ययन में अभिभावक से आशय जनपद पीलीभीत के उन माता–पिता अथवा संरक्षकों से है जिनके पाल्य माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करते हैं।

3. **अभिवृत्ति :**

अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था अथवा स्थिति के प्रति किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को इंगित करता है। प्रस्तुत शोध में अभिवृत्ति से तात्पर्य विद्यालयों में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से दी जाने वाली पीडा के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण से है।

शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया :

विधि :

प्रस्तुत अनुसंधान वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि के द्वारा सम्पादित किया गया है। जिसमें पीलीभीत जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को विद्यालय में दिये जाने वाले दण्ड के प्रति उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति को जानने की दृष्टि से स्व–निर्मित अभिवृत्ति मापनी के आधार पर एकत्र आंकडों के विश्लेषण से निष्कर्ष स्थापित किये गये हैं। इसके लिये माध्य तथा प्रतिशत का प्रयोग किया गया है।

समष्टि (जनसंख्या) :

'समग्र', 'समष्टि' या 'जनसंख्या' अनुसंधान के लिये निर्धारित वह समस्त क्षेत्र है जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। प्रस्तुत अनुसंधान में जनसंख्या से अभिप्राय जनपद पीलीभीत में स्थित माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से है।

न्यादर्श :

अनुसंधान के लिये न्यादर्श के चयन हेतु तीन स्तर पर न्यादर्श की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। प्रथम स्तर पर जनपद पीलीभीत के 25 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। द्वितीय स्तर पर चयनित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन क्रमागत आधार पर किया गया। इन चयनित विद्यार्थियों के अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क उनके घर जाकर किया गया।

उपकरण :

प्रस्तुत अनुसंधान के लिये स्व–निर्मित दण्ड अभिवृत्ति मापनी का निर्माण कर आंकडों के एकत्रीकरण के लिये उसका प्रयोग किया गया है। इसमें 40 कथन हैं।

आंकड़ों का संग्रहण :

चयनित विद्यालयों में आंकड़े एकत्र करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति लेकर शोधकर्ता ने व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा उपरोक्त उपकरण का प्रशासन कर आंकड़े एकत्र किये हैं।

आँकड़ों का विश्लेषण :

तालिका सं0– 1

जनपद पीलीभीत के माध्यमिक विद्यालयों के अभिभावकों की अभिवृत्ति प्राप्तांक

क्र0सं0	विद्यालय स्तर	माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावक		
		संख्या	माध्य	प्रतिशत
1	पिता	66	117ʊ88	58ʊ94:
	माता	24	123ʊ33	61ʊ67:
	अन्य	22	123ʊ18	61ʊ59:
	कुल	112		
2	अशिक्षित	47	115ʊ85	57ʊ93:
	अल्पशिक्षित	33	119ʊ24	59ʊ62:
	उच्चशिक्षित	32	127ʊ19	63ʊ60:
	कुल	112		
3	व्यापारी	46	116ʊ30	58ʊ15:
	अन्य पेशा	37	120ʊ41	60ʊ21:
	नौकरी पेशा	29	125ʊ69	62ʊ85:
	कुल	112		
4	संयुक्त परिवार	67	118ʊ73	59ʊ37:
	एकल परिवार	45	122ʊ11	61ʊ06:
	कुल	112		
5	ग्रामीण	71	116ʊ83	58ʊ42:
	शहरी	41	125ʊ73	62ʊ87:
	कुल	112		

निष्कर्ष :

उक्त तालिका के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए:

1. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के पिताओं के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों का औसत 117.88 है। वही विद्यार्थियों की माताओं का इस संदर्भ में औसत 123.33 है।
2. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के पिता अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों का माध्य 117.88 है वहीं दूसरी इसी समूह के अन्य अभिभावकों का विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांक माध्य 123. 18 है।
3. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की माता अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों का माध्य 123.33 है वहीं दूसरी इसी समूह के अन्य अभिभावकों का विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांक माध्य 123. 18 है।
4. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों को औसत 115.85 है वहीं अल्पशिक्षित अर्थात इण्टरमीडिएट तक शैक्षिक योग्यता धारित करने वाले अभिभावकों का इस संदर्भ में अभिवृत्ति प्राप्तांक औसत 119.24 है।
5. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अशिक्षित अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों को औसत 115.85 है वहीं उच्चशिक्षित योग्यता धारित करने वाले अभिभावकों का इस संदर्भ में अभिवृत्ति प्राप्तांक औसत 127.19 है।
6. उच्चशिक्षित अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों को औसत 127.19 है वहीं अल्पशिक्षित अर्थात इण्टरमीडिएट तक शैक्षिक योग्यता धारित करने वाले अभिभावकों का इस संदर्भ में अभिवृत्ति प्राप्तांक औसत 119.24 है।
7. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यापारी वर्ग के अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों का औसत 116.30 है। वही विद्यार्थियों के नौकरी पेशा अभिभावकों का इस संदर्भ में औसत 125.69 है।

8. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यापारी वर्ग के अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों को औसत 116.30 है वहीं अन्य व्यावसायिक कार्य करने वाले अभिभावकों का इस संदर्भ में अभिवृत्ति प्राप्तांक औसत 120.41 है।
9. नौकरी पेशा वर्ग के अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों को औसत 125.69 है वहीं अन्य व्यावसायिक कार्य करने वाले अभिभावकों का इस संदर्भ में अभिवृत्ति प्राप्तांक औसत 120.41 है।
10. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के संयुक्त परिवार वाले अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों को औसत 118.73 है वहीं एकल परिवार वाले अभिभावकों का इस संदर्भ में अभिवृत्ति प्राप्तांक औसत 122.11 है।
11. माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के ग्रामीण निवासीय स्थिति वाले अभिभावकों के विद्यालयी दण्ड के प्रति अभिवृत्ति प्राप्तांकों का औसत 116.83 है। वही विद्यार्थियों के शहरी निवासीय स्थिति वाले अभिभावकों का इस संदर्भ में औसत 125.73 है।

अतः माता, उच्चशिक्षित, नौकरी पेशा, एकल परिवार तथा शहरी अभिभावकों ने अन्य अभिभावकों की अपेक्षा विद्यालय में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले दण्ड के प्रति अधिक मात्रा में असहमति व्यक्त की।

संदर्भ :

1. अग्निहोत्री, आचार्य प्रभु दयाल, (1992), शिक्षा की भारतीय परम्परा, आदर्श और प्रयोग, एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली,
2. एडमस, हेरल्ड पी0 तथा डिक्की, फ्रैक जी, छात्राध्यापक शिक्षण के मूल सिद्धान्त, नई दिल्ली : एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0।
3. सिन्हा, एच0एस0 तथा शर्मा, रचना (2004), शिक्षा मनोविज्ञान, अटलांटिक पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स।
4. सिंह, अरुण कुमार (2010), शिक्षा मनोविज्ञान, (तृतीय संस्करण) नई दिल्ली : भारती भवन।
5. सुलेमान, मुहम्मद (2002), उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास।
6. बधेका गिजु भाई, (2004), ऐसे हों शिक्षक, गीतांजलि प्रकाशन, जयपुर
7. ठनबीए डण्ठण ;1988.92द्ध थ्पजि `नतअमल वि म्कनबंजपवदंस त्मेमंतबी टवसण् प्प्ए चचण् 899.900
8. भ्मानउकंक ;2004द्धए र्मिबजपअमदमे वि त्मूंतक `दक चनदपेीउमदज` डवकपपिमते वि जनकमदजेष ब्सें तववउ इमींअपवनत चैण्क्ण ;म्कनण्द्धए न्दपअमतेपजल वि मिकनबंजपवदंस `दक तमेमंतबीए न्दपअमतेपजल वि ।तपक ।हतपबनसजनतमए टूंसचपदकपए चंपेजंद
9. ठीनजपंए जैप ल्दद्दवद ;2006द्धए ब्वतचवतंस चनदपेीउमदज पद बैमददंप` बीववसे रू ।`जनकल चैण्क्ण बैमददंप रू डंदपजींउण
10. डंदहंस`ण्ड्ढण ;2011द्ध म्मदजपंसे वि म्कनबंजवदंस चेलबीवसवहलण् छमू क्मसीप रू च्भ्प् स्मंतदपदह च्अजण् स्जकण्
11. डमीजंए`सपसंस मज `सण् ;2006द्धण् प्उचंबज वि बवतचवतंस चनदपेीउमदज वद `बीववस बीपसकतमद रू । तमेमंतबी `जनकलण् छमू क्मसीप रू च्संद पदजमतदंजपवदंस प्दकपंण् 95 चण्
12. त्मेमंतबी ।तजपबसम. ीजजचरूध्ध्ूूूण्चेलबीवसवहलण्पेंजंजमण्मकनध्बिनसजलध्बंध्ेजतंबजेध्2005.2009ध्05ब्।ण्चकि
13. श्रण् त्पबींतक ळमततपह `दक ळण् चीपसपच `पउइंतकव ;2006द्धण् च्लबीवसवहल `दक सपमि `;मअमदजी मकपजपवदद्धण् क्मसीप रू क्वतसपदह ज्ञपदकमतेसमल च्अजण् स्जकण्ए चण् 212ण्